न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 59/2018 प्रार्थना पत्र

अनवान

1–समदा देवी पत्नी उंकारनाथ जाति कालबेलिया निवासी बाडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

प्रार्थीया

बनाम

1–सुडा पिता धन्ना लाल जाति भील निवासी बाडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

2–घीसी पत्नी डालू गिरी जाति गोस्वामी निवासी बाडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

3–सुखलाल पिता मोती जाति लुहार निवासी बाडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

4–मदन लाल पिता मोती जाति लुहार निवासी बाडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

5–बख्तावर पिता मोती जाति लुहार निवासी बाडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

6–डालू पिता हीरा जाति बलाई निवासी बाडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

7–देवा पिता रोडा जाति भील निवासी बाडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थीया

निर्णय

दिनांक 23.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट बागोलिया मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 55 में अंकित आराजी संख्या 248 रकबा 0.20 है0 आ.सं. 251 रकबा 0.58 है0, आराजी संख्या 252 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 253 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 254 रकबा 0.48 है0 कुल किता पांच कुल रकबा 1.84 है0 व खाता संख्या 56 में अंकित आराजी संख्या 249 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 250 रकबा 0.08 है0 कुल किता दो कुल रकबा 0.32 है स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित कृषि आराजियात के सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीया की कृषि आराजियात में विपक्षीगण आए दिन दखलंदाजी करते रहते हैं तथा प्रार्थीया को अपनी आराजियात में फसल काश्त कर फसल लाभ लेने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पडता है। जिससे प्रार्थीया की कृषि आराजियात की पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया द्वारा कई बार विपक्षीगणों को अपनी आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा परंतु विपक्षीगण आए दिन आजकल में कराने की बात कह कर

टालमबाजी का जवाब देते आ रहे हैं। प्रार्थीया द्वारा अंतिम बार दिनांक 02.06.2018 को विपक्षीगण को उनकी आराजियात की पत्थर गढी कराने बाबत् कहा परंतु विपक्षीगण इंकार हो गए। प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 02.06.2018 से बिनाय प्रार्थनापत्र उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 06.06.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या पांच उपस्थित हैं जिन्होंने पत्थरगढी करवाने में कोई आपत्ति नहीं की है। विपक्षीसंख्या एक से चार एवं छः व सात बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियाते खाता संख्या 55 में अंकित आराजी संख्या 248 रकबा 0.20 है0 आ.सं. 251 रकबा 0.58 है0, आराजी संख्या 252 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 253 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 254 रकबा 0.48 है0 कुल किता पांच कुल रकबा 1.84 है0 भूमि व खाता संख्या 56 में अंकित आराजी संख्या 249 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 250 रकबा 0.08 है0 कुल किता दो कुल रकबा 0.32 है स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीया सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीया इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/– अक्षरे दो सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा